

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:- F.11(7)FD(Rules)/2008 Jaipur Dated

12-09-2008 (छठे वेतनमान के अनुसार) के अनुसरण में इस विद्यालय में कार्यरत निम्नलिखित कार्मिक/ कार्मिकों को उनके द्वारा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01/07/2019 से वार्षिक वेतन वृद्धि उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 के अनुसार स्वीकृत की जाकर तदनुसार वेतन एवं भत्ते दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । वेतन वृद्धि जुलाई माह की प्रथम तारीख को कार्मिक के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश पर होने की स्थिति में वेतन वृद्धि का लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पद	30.6.2018 को प्राप्त कर रहे वेतन			वेतन वृद्धि दिनांक	वेतन वृद्धि बाद वेतन			आगामी वेतन वृद्धि तिथि
			बेसिक	ग्रेड पे	योग		बेसिक	ग्रेड पे	योग	
1	2	3	4		5	6	7		8	9
1										
2										
3										
4										

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिक/कार्मिकों ने ऐसे किसी अवकाश का उपभोग नहीं किया है जिससे उनकी वेतन वृद्धि प्रभावित होती हो।

प्रधानाचार्य

राजकीय

दिनांक:-

क्रमांक :-/संस्था/फा-वा0वे0वृ0/2019/

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

01.संबंधित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी

02. लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय

03. संबंधित कार्मिक

04. व्यक्तिगत पत्रावली

05. रक्षित पत्रावली

प्रधानाचार्य

राजकीय